भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3112

18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई के अंतर्गत आईएसएसआर और बीएलसी घटकों का कार्यान्वयन

†3112. **श्री सौमेंदु अधिकारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के झुग्गीवासियों**,** भूमि अधिकार प्राप्त ईडब्ल्यूएस परिवारों और अन्य पात्र भूमिहीन लाभार्थियों के लिए यथास्थान झुग्गी पुनर्विकास (आईएसएसआर) और लाभार्थी भागीदारी आधारित निर्माण (बीएलसी) के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है**;** और
(ख) केंद्रीय वित्तीय सहायता ढांचे के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थियों के लिए मानदंड और निर्धारित वित्तीय पात्रता प्रक्रिया और तकनीकी अपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, भूमिहीन शहरी गरीबों को आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्लमवासियों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) द्वारा बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू का आईएसएसआर घटक विशेष रूप से पात्र स्लमवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके स्लम के पुनर्विकास के लिए है। वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में स्लमवासियों सहित 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को

https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 24.11.2025 तक, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 113.85 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 96.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/देश भर में स्लमवासियों सहित लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल आवासों में से, लगभग 29.47 लाख आवासों को पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटकों के तहत स्लमवासियों के लिए स्वीकृति दी गई है।

इन योजनाओं के अंतर्गत, बीएलसी और एएचपी घटक के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

I. भारत में कहीं भी अपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं है।
II. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हों जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 रूपये लाख तक है।
III. बीएलसी घटक का लाभ उठाने के लिए ज़मीन का मालिकाना हक हो।

इसके अलावा, एआरएच घटक के तहत, 6 लाख रुपये की आय सीमा तक के ईडब्ल्यूएस/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणियों के पात्र लाभार्थी किफायती दर पर किराया आवास का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, आईएसएस घटक के तहत, प्रति वर्ष 9 लाख रुपये की आय सीमा तक के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के लाभार्थी घर खरीदने/पुनः खरीदने/ घर बनाने के लिए आवास ऋण पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के खर्च पर परिवार को आनुवांशिक, लेकिन गैर-हस्तांतरणीय भूमि अधिकार (पट्टे) प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे बीएलसी घटक के तहत पात्र लाभार्थी बन सकते हैं। भूमिहीन लोग पीएमएवाई 2.0 योजना के एएचपी और आईएसएस घटक के तहत भी लाभ उठा सकते हैं।

*****